प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.....भ्र0 नि0 ब्यूरो, चौकी सवाई माधोपुर...थाना..... प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर..
(प्र.सू.रि.स.) .....309/2023.....दिनांक) .....22/12/2023.....

2. (अ) अधिनियम . 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) धारा 120 बी. भा.द.सं

(ब) अधिनियम .....धारायें.....

(स) अधिनियम .....धारायें.....

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....1057.....समय.....7:00 PM.....

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक .....गुरूवार 21.12.2023 / 02:13 पी.एम.....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक .....

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक – लिखित रिपोर्ट

5. घटनास्थल. कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी....बजानिव दिशा दक्षिण–पूर्व, दूरी करीब 30 कि.मी...

(ब) पता .....बीट सख्या .....जरायम देही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना.....जिला.....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम .....श्री आरीफ खान.....

(ब) पिता / पति का नाम .....श्री मोहम्मद .....जाति.....गददी मुसलमान .....

(स) जन्म तिथि / वर्ष ..... 33 वर्ष.....

(द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....

(य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....

(र) व्यवसाय.....

(ल) पता.....निवासी सेलू जिला सवाई माधोपुर .

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना जाति मीना, उम्र 33 वर्ष, निवासी खानपुर मीना, तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर।

2. रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति जाट उम्र 46 वर्ष, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–.....कोई नही.....

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....

.....5,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य पंचनामा / यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो).....

.....5,000 / –रू0 रिश्वत राशि .....

11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये):–

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, एसीबी सवाई माधोपुर, विषयः– रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैं आरिफ खान पुत्र मोहम्मद, गददी मुसलमान उम्र 33 वर्ष, निवासी सेलू जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। मेरे पास एक डम्फर नम्बर आर.जे. 25 जी.ए. 6365 है। जिससे मैं रवान्नाशुदा बजरी का परिवहन करता हूँ। मैं दिनांक 09.12.2023 को मैनें भूंखा कांटा से बजरी भरकर, रवान्ना कटाकर खानपुर के लिये जा रहा था, तो मुझे रास्ते में वन विभाग की चौकी फलोदी के पास रेन्जर राजबहादुर ने रोक लिया था और मुझसे पूछा इसमें क्या है मैंने कहा की इस डम्फर में रवान्नाशुदा बजरी है। इस पर राजबहादुर जी ने रवान्ना चैक कर कहा कि यह तो फर्जी रवान्ना है और तेरे डम्फर में ऑवरलोड बजरी भरी हुई है। राजबहादुर रेन्जर ने मुझे डरा धमकाया। राजबहादुर जी मुझे बजरी के डम्फर चलाने के बदले में प्रति डम्फर पांच हजार रूपये रिश्वत राशि मांग रहे है। मैं हमेंशा रवान्ना कटाकर ही बजरी का परिवहन करता हूँ। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत राशि नही देना चाहता हूँ। बल्कि रिश्वत राशि लेते हुये को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। प्रार्थी श्री आरीफ खान पुत्र श्री मोहम्मद, जाति गददी मुसलमान, उम्र 33 वर्ष, निवासी सेलू जिला सवाई माधोपुर।

"कार्यवाही पुलिस"

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 12.12.2023 समय 10:50 ए.एम. पर परिवादी श्री आरीफ खान उक्त हस्त लिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित कार्यालय आया है। प्रार्थी ने बताया की मेरे

पास एक डम्फर नम्बर आर.जे. 25 जी.ए. 6365 है। जिससे मैं रवान्नाशुदा बजरी का परिवहन करता हूँ। मैं दिनांक 09.12.2023 को मैनें भूंखा कांटा से बजरी भरकर, रवान्ना कटाकर खानपुर के लिये जा रहा था, तो मुझे रास्ते में वन विभाग की चौकी फलोदी के पास रेन्जर राजबहादुर ने रोक लिया था और मुझसे पूछा इसमें क्या है मैंने कहा की इस डम्फर में रवान्नाशुदा बजरी है। इस पर राजबहादुर जी ने रवान्ना चैक कर कहा कि यह तो फर्जी रवान्ना है और तेरे डम्फर में ऑवरलोड बजरी भरी हुई है। राजबहादुर रेन्जर ने मुझे डरा धमकाया। राजबहादुर जी मुझे बजरी के डम्फर चलाने के बदले में प्रति डम्फर पांच हजार रूपये रिश्वत राशि मांग रहे है। मैं हमेंशा रवान्ना कटाकर ही बजरी का परिवहन करता हूँ। परिवादी ने मजिद दरियाफ्त पर बताया की रिपोर्ट स्वयं द्वारा हस्तलिखित होना व रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर होना तथा अंकित तथ्य सही होना बताया। परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं मजिद दरियाफ्ता से मामला लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेन–देन का पाया गया है।

इसके उपरान्त **समय करीबन 11:20 ए.एम. पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने** कार्यवाहक मुख्य आरक्षक श्री रमेश कुमार कानि. 469 से कार्यालय आलमारी से विभागीय वॉईस रिकार्डर निकलवा कर परिवादी श्री आरीफ खान को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड करने के लिए विभागीय वॉईस रिकार्डर व वॉइस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय वॉईस रिकार्डर को चालू एवं बन्द करने की विधि समझाई गई। वॉईस रिकार्डर को श्री हम्मीर सिंह कानि. 02 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि परिवादी को आरोपी के पास में जाने से पूर्व वॉईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर उसे सुपुर्द करें तथा रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी वार्ता होने के बाद परिवादी के वापिस आने पर वॉईस रिकार्डर उससे प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित लेकर आवे तथा वापस कार्यालय में आकर पेश करें।

इसके उपरान्त **समय करीबन 11:30 ए.एम. पर** परिवादी श्री आरीफ खान व श्री हम्मीर सिंह कानि. को प्राईवेट वाहन से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी के कहे अनुसार फलौदी के लिए बाद हिदायत रवाना किया गया। जो समय करीबन 01:40 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये और परिवादी आरीफ खान ने बताया कि हम दोनों कार्यालय से निजी वाहन से रवाना होकर फलौदी के पास पहुचे, जहां मुझे श्री हम्मीर सिंह जी ने राजबहादुर रेन्जर फलौदी के पास जाने से पूर्व वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपना परिचय देकर दे दिया। इस पर मैं राजबहादुर रेन्जर के पास अन्दर ऑफिस में चला गया और हमीर सिंह जी वहीं आस–पास बाहर ही रूक गये। मैंने ऑफिस में बैठे व्यक्तियो से राजबहादुर रेन्जर के लिये पूछा तो उन्होने कहा की साहब यहां पर ही है, आप बैठो थोडी देर में आयेंगे। इसके पश्चात में ऑफिस में से निकलकर बाहर आ गया और राजबहादुर जी के इन्तजार में वहीं रूक गया। इसके पश्चात राजबहादुर जी ऑफिस कक्ष में आने पर मैं उनके पास चला गया इसके पश्चात मैने उनसे मेरे बजरी के डम्फरों के बारे में बातचीत की तो उन्होने कहा की प्रति डम्फर पांच हजार रूपये लगेगे। मैने कहा की साहब कुछ कम कर लो तो राजबहादुर जी ने कहा की तु चाहे बी ला, दस ला, सो ला, पचास ला एक डम्फर के पांच हजार रूपये लगेंगे इसके बाद उन्होने एक व्यक्ति को फोन कर अन्दर बुलाया और मेरे से मिलवाया तथा उस व्यक्ति ने अपने नम्बर मुझे दिये और राजबहादुर रेन्जर ने कहा की इनसे मिल लेना ठीक है। मैने मेरे व राजबहादुर जी के बीच में हुई वार्ता की सभी बाते मैनें वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर ली है, इसके बाद मैंने वापिस आकर वाईस रिकॉर्डर चालू हालत में कानि0 हम्मीर सिंह जी को सुपुर्द कर दिया। जिसने रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया और हम दोनो वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये तथा परिवादी ने बताया की मैने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी की है वह व्यक्ति राजबहादुर का ड्राईवर है। कानि0 हम्मीर सिंह से पूछने पर कानि0 ने परिवादी के कथनो की ताईद की। इस पर हम्मीर सिंह कानि0 से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर प्राप्त कर फर्द प्राप्ति वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रनिंग नोट की गई। वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी आरीफ खान व आरोपी राजबहादुर की रिश्वत मांग सत्यपान वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी।

इसके पश्चात समय करीबन 03:15 पी.एम. पर वॉइस रिकॉर्डर में परिवादी आरीफ खान एवं आरोपी राजबहादुर रेन्जर के मध्य वक्त रिश्वती मांग सत्यापन वार्तालाप जो डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, को रूबरू गवाहान रमेश कुमार कानि. व हम्मीर सिंह कानि. एवं परिवादी के समक्ष श्री हम्मीर सिंह कानि. से वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से अटैच करवाया जाकर लेपटॉप से टेबल स्पीकर को अटैच करवाकर वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.12.2023 को लेपटॉप के डेस्कटॉप पर सेव करवाया जाकर टेबल स्पीकर की मदद से रूबरू गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना जाकर परिवादी से पूछ–पूछ कर आवाज की पहचान करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई तथा लेपटॉप की मदद से श्री हम्मीर सिंह कानि. से उक्त वार्ता का एक पेन ड्राईव मूल न्यायालय हेतु व तीन डी.वी.डी. क्रमश–दो मुल्जिम एवं आई. ओ. प्रति तैयार करवाई जाकर मूल पेन ड्राईव को मार्क "A" एवं मुल्जिम प्रति व आई.ओ. को क्रमश– मार्क "A-1" A-2 व "A-3" अंकित कर मूल पेन ड्राईव एवं मुल्जिम प्रति डी.वी.डी. को

अलग अलग सफेद कपडे की थैलियों में सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. को कपडे की थैली में रखवाकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर खुला रखा गया। रूपान्तरण वार्ता से परिवादी के कथन की पुष्टि होना पायी गई। परिवादी आरीफ खान ने बताया की मैने मेरे स्तर से पता लगाया है, राजबहादुर रेन्जर 4–5 दिन के लिये बाहर गया हुआ है। राजबहादुर जी के आने पर मैं आपके सम्पर्क कर लूंगा। इस पर परिवादी आरीफ खान को हिदायत दी गई की राजबहादुर रेन्जर से सम्पर्क होने पर आप उसी दिन कार्यालय में रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/– रूपये का इन्तजाम कर उपस्थित आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। इसके पश्चात **समय करीबन 05:45 पी.एम. पर** मूल व मुल्जिम प्रति शील्ड डी.वी.डी. को मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

इसके उपरान्त **दिनांक 21.12.2023 समय करीबन 10.30 ए.एम** पर परिवादी आरीफ खान उपस्थित कार्यालय आया और पूछने पर उसने बताया कि मैने मेरे स्तर पर पता लगाया की राजबहादुर रेन्जर कार्यालय में उपस्थित आया गया है और मैंने पैसे की व्यवस्था करली है। परिवादी से रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो उसने बताया कि रिश्वत में दी जाने वाली राशि 5,000/– रूपये का इन्तजाम कर लाया हू। इसके पश्चात समय करीबन 10.45 ए.एम पर श्री रामकेश कानि0 को जरिये तहरीर दो स्वतंत्र गवाहान हमराह एसीबी कार्यालय में लाने हेतु कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर रवाना किया गया। जो 11.00 ए.एम पर अपने साथ दो स्वतंत्र गवाहान के हाजिर कार्यालय आया। कानि. के साथ आये स्वतंत्र गवाहान का नाम–पता व पद पूछा तो दोनो ने अपने–अपने नाम क्रमश श्री बबलूराम यादव पुत्र श्री अनिल कुमार यादव जाति अहीर उम्र 28 वर्ष, निवासी गांव आमोठ, पुलिस थाना मुण्डावर जिला अलवर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर एवं श्री जितेन्द्र कुमार खंगार पुत्र हरकेश सिंह खंगार, जाति खंगार, उम्र 31 वर्ष निवासी महरावण्ड, पुलिस थाना बाटोदा, जिला सवाई माधोपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सवाई माधोपुर होना बताया। परिवादी कार्यालय हाजा में उपस्थित है, जिससे उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया एवं परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट पढने को दी गई। उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान ने ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा पेश शुदा रिपोर्ट पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रमाण स्वरूप अपने–अपने हस्ताक्षर किये एवं स्वतंत्र गवाहान को अब तक की कार्यवाही से अवगत कराया गया। इसके पश्चात समय 11.20 ए.एम पर स्वतंत्र गवाहान के सामने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री आरीफ खान ने मांगने पर आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि पांच–पांच सौ रूपये के 10 नोट कुल 5,000/–रूपये अपने पास से निकालकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्रम संख्या	नोटों का विवरण	नोटों के नम्बर
1	एक नोट 500 रूपये का	1 QP 087346
2	एक नोट 500 रूपये का	9 WM 283403
3	एक नोट 500 रूपये का	1 CS 369977
4	एक नोट 500 रूपये का	6 AH 577604
5	एक नोट 500 रूपये का	2 PN 615784
6	एक नोट 500 रूपये का	0 SW 119191
7	एक नोट 500 रूपये का	3 PW 855944
8	एक नोट 500 रूपये का	0 KL 329224
9	एक नोट 500 रूपये का	8 LC 615200
10	एक नोट 500 रूपये का	3 TE 073442

उपरोक्त पेश शुदा नोटों को गवाहान व परिवादी को दिखाया जाकर फर्द में अंकित नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। तत्पश्चात कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि0 469 से मालखाना खुलवाकर श्री रामकेश कानि0 98 से मालखाने मे रखा फिनॉफ्थलीन पाऊडर का डिब्बा निकलवाया जाकर श्री रामकेश कानि0 98 से एक अखबार के उपर फिनॉफ्थलीन पाउडर निकलवाकर 5,000/–रूपये के उपरोक्त नोटों पर भली–भांति फिनॉफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री आरीफ खान की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री बबलूराम यादव से लिवाई गई तो उसके पास पहने हुये परिधान तथा मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद श्री रामकेश कानि0 98 से फिनॉफ्थलीन पाउडर लगे हुये 5,000/–रूपयो को परिवादी की पहनी हुये कोट की सामने की बांयी तरफ की जेब में रखवाये गये। परिवादी को समझाईश की गई कि आरोपी से हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो आरोपी को हाथ जोडकर अभिवादन करे। अब

पाऊडर युक्त रिश्वत राशि को अनावश्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही उक्त राशि निकालकर देवे तथा आरोपी रिश्वत राशि को प्राप्त करके कहां रखता है इसका ध्यान रखे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत प्राप्त करने पर अपने सिर पर हाथ फेरकर या मोबाईल से सूचित करे। इसके बाद दोनों गवाहान को भी हिदायत दी गई कि वे यथासम्भव परिवादी व आरोपी के बीच होने वाले रिश्वत के लेन–देन को देखने तथा वार्ता को सुनने का यथासम्भव प्रयास करें। इसके बाद गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार से एक पारदर्शी डिस्पोजल में साफ पानी भरवाया और ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट पाउडर का डिब्बा निकलवाकर उक्त स्वतंत्र गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार से एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर उक्त डिस्पोजल के पानी में डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिसे उपस्थित हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना बताया। इसके बाद उक्त डिस्पोजल के घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाऊडर लगाने वाले श्री रामकेश कानि0 98 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो डिस्पोजल के धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया, जिसे उपस्थित हाजरीन ने गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। इस प्रकार परिवादी एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान को फिनोफ्थलीन व सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया के महत्व को दृष्टांत दिलवाकर समझाया गया और श्री रामकेश कानि0 98 से फिनाफथलीन पाउडर के डिब्बे का ढक्कन बंद करवाकर मालखाने में रखवाया गया तथा गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार से सोडियम कार्बोनेट पाऊडर के डिब्बे को ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। कार्यवाहक मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि0 469 से ट्रेप बाक्स तैयार करवाया गया। इसके बाद रामकेश कानि. से डिस्पोजल के धोवन को कार्यालय परिसर के बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल और काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा रामकेश कानि. के दोनो हाथों को साबुन पानी से साफ करवाया गया। इसके बाद दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री आरीफ खान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी अपने हाथ साबुन पानी से साफ किये। इसके बाद परिवादी को छोडकर उपरोक्त की आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तो दोनो गवाह के पास मोबाईल फोन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास विभागीय पहचान पत्र व मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं छोडी गई। इसके बाद परिवादी श्री आरीफ खान को रिश्वत लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये विभागीय वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने की विधि समझाया जाकर आवश्यक हिदायत दी जाकर सुपुर्द किया गया। फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट तथा दृष्टांत फिनॉफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर पृथक से तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके उपरान्त समय करीबन 01.05 पीएम पर परिवादी श्री आरीफ खान व श्री हम्मीर सिंह कानि. स्वतंत्र गवाह बबलूराम यादव व संजय कुमार कानि0 को परिवादी के निजी वाहन से फलौदी के लिये रवाना कर उनके पीछे–पीछे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री जितेन्द्र कुमार खंगार, भोलाराम कानि., रमेश कुमार कानि., मनोज कुमार कानि. मय प्राईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय से मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के फलौदी के लिए वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। नोटो पर कलर लगाने वाले रामकेश कानि. 98 को मुनासिफ हिदायत कर ब्यूरो चौकी छोडा गया। इसके पश्चात समय करीबन 02.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा फलौदी वन विभाग चौकी के नजदीक पहुचा। जहा पर परिवादी को अपने निजी वाहन से उतारकर वाईस रिकॉर्डर चालू कर फलौदी वन विभाग चौकी में आरोपी राजबहादुर के पास जाने की मुनासिब हिदायत कर रवाना किया गया तथा परिवादी के पीछे–पीछे कानि0 हम्मीर सिंह को रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष ट्रेप पार्टी अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकीम हुये। परिवादी आगे–आगे चलकर फलौदी वन विभाग चौकी में अन्दर प्रवेश कर चुका है परिवादी के नियत ईशारे का इंतजार है। तत्पश्चात समय करीबन समय 02.13 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री आरिफ खान ने रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा किया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान् को अवगत कराते हुये मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी आरीफ खान के पास फलोदी वन विभाग की चौकी के अन्दर पहुंचा। जहां पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी आरीफ खान से वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी ने अपने पास ही खडे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही राजबहादुर रेन्जर का ड्राईवर, जिसने मेरे से रिश्वत राशि 5,000/– रूपये लेकर अपने बांये हाथ में लेकर दांये हाथ में रख लिये। इसके पश्चात मैने आपको और आपकी टीम को रिश्वती स्वीकृति का ईशारा कर दिया था। इसके कुछ समय बाद ही आप और आपकी टीम यहां पर आ गयी। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के बताये अनुसार पास ही खडे व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम घबराते हुये रामजीलाल जाट होमगार्ड होना बताया। इस पर मन अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक नें आरोपी रामजीलाल जाट को यथास्थिति रहने की हिदायत कर आरोपी राजबहादुर रेन्जर के बारे में पूछा तो आरोपी रामजीलाल जाट ने ऑफिस में ही अपने निवास पर होना बताया, इस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के आरोपी रामजीलाल को यथास्थिति में अपने साथ लेकर फलोदी चौकी में स्थित रेन्जर निवास पर पहुंचा, जहां पर एक व्यक्ति निवास की छत पर खडा हुआ नजर आया, जिसे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने हमराहीयान की मदद से छत के उपर से नीचे उतार कर दोनो आरोपीगण को यथास्थिति में मय हमराहीयान व परिवादी के फलोदी वन विभाग चौकी के अन्दर बने दाहिने तरफ के कमरे में लेकर आया, उक्त कमरे में कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर का बोर्ड लगा हुआ था, जिस पर क्षैत्रिय वन अधिकारीयों के नाम लिखे हुये थे, उक्त कमरे में आरोपीगण राजबहादुर रेन्जर व रामजीलाल जाट होमगार्ड ड्राईवर को तसल्ली देकर उनका नाम पता पूछा तो आरोपी रामजीलाल जाट होमगार्ड ड्राईवर ने अपना नाम रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति जाट उम्र 46 वर्ष, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर होना बताया तथा राजबहादुर रेन्जर ने अपना नाम राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना जाति मीना, उम्र 33 वर्ष, निवासी खानपुर मीना, तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर होना बताया। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी रामजीलाल जाट से परिवादी से किस बात के लिये तो आरोपी रामजीलाल जाट होमगार्ड ड्राईवर ने बताया की आरीफ खान ने अभी थोडी देर पहले मेरे पास फोन करके कहा की कहां हो तो मैंने कहा की ऑफिस में ही गाडी धो रहा हूँ। इसके थोडी देर बाद आरीफ खान मेरे पास आ गया और मेरे से कहा की साहब किधर है तो मैने कहा की साहब नहा रहे है। इसके बाद आरीफ खान ने मुझे पांच हजार रूपये देते हुये कहा की गिन लो, मैने गिने नही और अपने पास रख लिये। इसके पश्चात आरोपी राजबहादुर क्षैत्रीय वन अधिकारी से परिवादी से किस बात के लिये पांच हजार रूपये मांगने बाबत पूछा तो आरोपी राजबहादुर ने बताया की दिनांक 12.12.2023 को मेरे पास फलौदी वन विभाग की चौकी में आया था, आरीफ खान ने मेरे से कहा की हमारे डम्पर चलेंगे। आरीफ खान ने कहा मैं आपको प्रति डम्पर दो हजार रूपये दे दूंगा, इस पर मैने कहा की दो हजार क्या पांच हजार दे देना। इसके बाद आरीफ खान बाहर चला गया और हमारे ड्राईवर और स्टाफ से बात करने लग गया। इसके पश्चात मैने आरीफ खान से कहा की बजरी से हमारा कोई लेना–देना नही है, जो करना है जो करना चाहे मंदिर पर चढा देना। इस पर पास ही खडे परिवादी ने आरोपी रामजीलाल होमगार्ड ड्राईवर व राजबहादुर रेन्जर की बातो का खण्डन करते हुये बताया की मैं अपने डम्पर से रवान्नाशुदा बजरी का परिवहन करता हूँ और जब भी मैं भी डम्पर लेकर फलोदी वन विभाग की चौकी की तरफ से निकलता हूँ तो राजबहादुर रेन्जर मुझे कार्यवाही करने की धमकी देकर रिश्वत मांगता था, इसलिये मैंने दिनांक 12.12.2023 को मैंने आपके कार्यालय में राजबहादुर रेन्जर को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुये पकडवाने बाबत प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर आप द्वारा आपके कार्यालय के कर्मचारी हम्मीर सिंह को रिकॉर्डर देकर मेरे साथ फलौदी वन विभाग की चौकी पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु भेजा था। इसके बाद हम्मीर जी फलौदी वन विभाग की चौकी के पास मुझे रिकॉर्डर चालू कर चौकी के अन्दर भेज दिया जहां पर मुझे राजबहुादर जी मिले और राजबहादुर जी ने मेरे से प्रति डम्पर पांच हजार रूपये रिश्वत की मांग की थी और राजबहादुर जी ने मेरा सम्पर्क उनके ड्राईवर से करवाकर ड्राईवर के नम्बर दिये थे, की जब भी आओ इनसे सम्पर्क कर लेना। इसके बाद आज दिनांक 12.12.2023 को मैनें ड्राईवर को फोन करके कहा की साहब है क्या तो ड्राईवर ने कहा की साहब ऑफिस में ही और मैं भी ऑफिस में ही हूँ, गाडी धो रहा हूँ। इसके पश्चात मैं फलौदी वन विभाग की चौकी के अन्दर आ गया जहां पर ड्राईवर गाडी धो रहा था, मैं ड्राईवर के पास गया तो ड्राईवर ने कहा की बताओ तो मैने कहा की आज शाम को मेरा आना नही होगा, इसके बाद मैने ड्राईवर को पांच हजार रूपये दे दिये, ड्राईवर ने कहा की कितने है मैने कहा की गिन लो तो ड्राईवर ने कहा की तूम ही बता दो मैने कहा की पांच है और मैनें कहा की एक बन्दा और आया है, इसके बाद मैने आपको रिश्वत स्वीकृति का ईशारा कर दिया था। इसके पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने स्वंतत्र गवाह श्री बबलूराम यादव से आरोपी रामजीलाल जाट के दाहिने हाथ में पकडी हुई रिश्वति राशि को आरोपी रामजीलाल जाट से सीधे ही स्वतंत्र गवाह को दिलवायी जाकर गवाह बबलूराम यादव से गिनवाये गये तो 500–500 रू. के 10 नोट कुल 5,000/–रू. होना पाये गये, जिनका मिलान एसीबी कार्यालय सवाई माधोपुर में बनी फर्द पेशकशी से करवाया गया तो हुबहु वही नम्बरी नोट पाये गये। रिश्वती राशि 5,000/–रूपये के नम्बरी नोटो को बतौर बजह सबूत एक सफेद कागज के साथ सिलवाकर सील मोहर कर कागज पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में से दो पारदर्शी डिस्पोजल में गवाह श्री जितेन्द्र कुमार खंगार से वहीं से साफ पानी भरवाया

जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर दोनो डिस्पोजल को उचित दूरी पर रखवाकर हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा दोनो घोल के पारदर्शी डिस्पोजल में आरोपी रामजीलाल जाट ड्राईवर के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे व बांये हाथ की अंगूलिया व अंगुठे को डूबोकर बारी–बारी से धूलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवन को दो–दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर दांहिने हाथ के धोवन को मार्क आर–1, आर–2 व बांये हाथ के धोवन को मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी श्री आरीफ खान को सुपुर्द शुदा विभागीय वाईस रिकार्डर जो पूर्व में प्राप्त किया गया था, जो मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित है को लेपटॉप में कनेक्ट करवा कर उक्त वार्ता को चालू कर ईयरफोन लगा कर सुना गया तो परिवादी श्री आरीफ खान एवं आरोपी रामजीलाल जाट होमगार्ड के मध्य रिश्वत लेन–देन के समय की वार्ता रिकार्ड होना पाई गई। वाईस रिकार्डर को सुरक्षित रखा गया। वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट ब्यूरो कार्यालय चौकी सवाईमाधोपुर पहुंच पृथक से तैयार की जावेगी। इसके बाद परिवादी श्री आरीफ खान एवं आरोपीगण राजबहादुर क्षैत्रिय वन अधिकारी, रामजीलाल होमगार्ड ड्राईवर से आपस में एक दूसरे से किसी प्रकार की रंजिश अथवा पैसे आदि के लेन–देन शेष होने बाबत पूछा तो स्वेच्छा से किसी प्रकार की रंजिश या लेन देन होने से मना किया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये।

इसके उपरान्त समय करीबन 04.50 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना जाति मीना, उम्र 33 वर्ष, निवासी खानपुर मीना, तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर को जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा0द0स0 तथा समय 05.00 पी.एम पर रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति जाट उम्र 46 वर्ष, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर **को** 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा0द0स0 में लिप्त पाये जाने पर गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात समय 05:10 पी.एम पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी आरीफ खान की निशादेही से घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर आरोपी रामजीलाल जाट होमगार्ड द्वारा कार्यालय क्षैत्रिय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी में ली गई रिश्वत राशि का नक्शा मौका व हालात मौका कशीद किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

इसके उपरान्त **समय करीबन 05:35 पी.एम. पर** मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के मय बरामद शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वती राशि 5,000 रूपये, लेपटॉप, प्रिन्टर, ईयरफोन, ट्रेप बॉक्स व जप्त/शील्डशुदा माल वजह सबूत आदि मुताबिक फर्दात के बाद ट्रेप कार्यवाही में गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण राजबहादुर मीना क्षैत्रिय वन अधिकारी, रामजीलाल जाट होमगार्ड को लेकर जरिए निजी वाहनो के क्षैत्रिय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभयारण्य रेन्ज फलौदी सवाई माधोपुर से ए.सी.बी. कार्यालय सवाई माधोपुर के लिए रवाना होकर समय 06.35 पी.एम पर ब्यूरो चौकी सवाई माधोपुर पहुंचे। जहां पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्ड शुदा नम्बरी रिश्वत राशि 5000/–रू., धोवन की शील्ड शीशीयां मार्क आर–1, आर–2, एल–1, एल–2 को कार्यवाहक मुख्य आरक्षक श्री रमेश कुमार कानि. 469 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया। अभियुक्त को कार्यालय में जाप्ता निगरानी में रखा गया। इसके पश्चात **समय करीबन 07:00 पी.एम. पर** वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी श्री आरीफ खान व अभियुक्त रामजीलाल होमगार्ड के मध्य रिकार्ड वार्ता दिनांक 21.12.2023 की स्वतंत्र गवाहान जितेन्द्र कुमार खंगार एवं श्री बबलूराम यादव की मौजुदगी में परिवादी श्री आरीफ खान से पूछ–पूछ कर श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 से ट्रासक्रिप्ट तैयार करवाई गई। कार्यालय के लेपटॉप की मदद से श्री हम्मीर सिंह कानि0 02 से एक पेन ड्राईव मूल न्यायालय हेतु व तीन डी.वी.डी. क्रमशः दो मुल्जिम प्रति व एक आई.ओ. प्रति तैयार करवाकर मूल पेन ड्राईव को मार्क B व डब शुदा डीवीडीयों मुल्जिम प्रति मार्क–B-1,B-2 अंकित करवा कर मूल पेन ड्राइव व मुलजिम प्रति डीवीडीयों को सफेद कपड़े की थैली में अलग अलग सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत जप्त कर कब्जा ए.सी.बी. लिया गया एवं आई.ओ. प्रति डी.वी.डी. को मार्क–B-3 अंकित कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलवाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पर खुला रखा गया एवं ट्रेप कार्यावाही में उपयोग में लिये वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क 'SD' अंकित कर कब्जा

एसीबी लिया गया तथा मूल पेन ड्राईव व मुल्जिम प्रति डीवीडी कुल 02 को व मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री रमेश कुमार कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया।

इसके पश्चात **समय करीबन 08:35 पी.एम. पर** मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री हम्मीर सिंह कानि.., श्री राजवीर सिंह कानि., श्री रमेश कुमार कानि. एवं गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण राजबहादुर मीना क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर, रामजीलाल जाट होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु पृथक से ड्यूटी ऑफीसर सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर के नाम तहरीर जारी कर मय वाहन सरकारी बोलरो मय कानि. चालक श्री संजय कुमार 340 के सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर के लिये रवाना किया गया, जो समय करीबन 09.20 पी.एम पर अभियुक्तगण का स्वास्थय परीक्षण करवाकर ब्यूरो चौकी उपस्थित आये। अभियुक्तगण को जाप्ते की निगरानी में रखा गया।

इसके पश्चात समय करीबन 10.00 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सील्ड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 55 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में पत्थर से तुडवा कर जरिये फर्द नष्ट किया गया। जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से अभियुक्त राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना जाति मीना, उम्र 33 वर्ष, निवासी खानपुर मीना, तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर, द्वारा स्वयं का लोक सेवक होते हुये अपने वैध पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में अपने पद का दुरूपयोग कर भ्रष्ट एवं अवैध तरीके से परिवादी आरीफ खान से परिवादी के डम्पर में रवान्नाशुदा बजरी का परिवहन करने देने व कार्यवाही करने की धमकी देकर कार्यवाही नही करने की एवज में परिवादी आरीफ खान से दिनांक 12.12.2023 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 5,000/–रूपये प्रति डम्पर की मांग करना पाया गया तथा अपने ड्राईवर से सम्पर्क कर रिश्वत राशि ड्राईवर रामजीलाल जाट होमगार्ड को देने की मांग के अनुशरण में दिनांक 21.12.2023 को स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। आरोपी राजबहादुर क्षैत्रिय वन अधिकारी के कहे अनुसार अभियुक्त रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति जाट उम्र 46 वर्ष, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर को कार्यालय क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर में 5,000/– रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया तथा आरोपित राजबहादुर मीना क्षैत्रीय वन अधिकारी को उक्त मांग के अनुसरण में आरोपी रामजीलाल जाट होमगार्ड द्वारा रिश्वत राशि लेने के उपरान्त कार्यालय में मौजूद राजबहादुर मीना क्षैत्रीय वन अधिकारी को पकडा गया। अतः आरोपित राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना जाति मीना, उम्र 33 वर्ष, निवासी खानपुर मीना, तहसील बाडी जिला धौलपुर हाल क्षैत्रीय वन अधिकारी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा0द0स0 तथा आरोपी रामजीलाल पुत्र रामकुवांर जाति जाट उम्र 46 वर्ष, निवासी ठींगला पुलिस थाना मानटाउन जिला सवाई माधोपुर हाल होमगार्ड नम्बर 149 सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120 बी भा0द0स0 में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन ब्यूरो मुख्यालय प्रेषित है।

(सुरेन्द्र कुमार शर्मा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
सवाई माधोपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. श्री राजबहादुर मीना पुत्र सन्तराम मीना, क्षैत्रीय वन अधिकारी, सवाई माधोपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में तथा आरोपी 2.श्री राजमजीलाल पुत्र श्री रामकुवांर, होमगार्ड नम्बर 149, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य फलौदी, जिला सवाई माधोपुर के विरूद्ध जुर्म धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादंसं का घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 309/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

22/12/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 3162-66 दिनांक 22.12.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख), राजस्थान, जयपुर।
4. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सवाई माधोपुर।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।